UPGK010050522026

न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

नियमित जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–2199/2026

1– धर्मेन्द्र यादव, उम्र 45 वर्ष
2– लाममन यादव, उम्र 50 वर्ष } पुत्रगण केशव प्रसाद यादव

निवासीगण–मलौली, थाना–गगहा, जनपद–गोरखपुर।

.....आवेदकगण/अभियुक्तगण,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य .....प्रतिपक्षी,

मुकदमा अपराध सं0–204/2026

धारा–352,351(3),333,109(1) भा0 न्याय सं0

थाना–गगहा, जनपद–गोरखपुर।

आदेश

1. जमानत का यह प्रार्थना–पत्र, आवेदकगण/अभियुक्तगण धर्मेन्द्र यादव व लालमन यादव के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो अपराध सं0–204/2026 धारा–352,351(3),333,109(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना–गगहा, जनपद गोरखपुर के प्रकरण में जिला कारागार में निरुद्ध है।

2. अभियोजन का कथन है कि वादी मुकदमा राज चौधरी के द्वारा दिनांक 06.05.2026 को थाना गगहा, जनपद गोरखपुर में इस आशय की प्राथमिकी दर्ज करायी कि दिनांक 06.05.26 को दिन में 12 बजे के लगभग मे हमारे गाँव निवासी बहादुर यादव व लालमन यादव व धर्मेन्द्र यादव पुत्रगण केशव प्रसाद यादव व संदीप व सत्यम यादव पुत्रगण लालमन यादव ये लोग मिलकर लाठी डण्डा व कुल्हाड़ी लेकर हमारे घर में घुस आये और हम प्रार्थी को माँ बहन कि गालीयाँ देते हुये लात घुसा व डण्डो व कुल्हाड़ी से मारने पीटने लगे। शोर सुनकर हमारे परिवार के सदस्य हमारी बहन अंकिता व खुशिहाल, पुत्र रामनगीना व विशाल पुत्र रामनगीना जब बीच बचाव में आये तो उपरोक्त लोग इनको भी घर के अन्दर घेरकर मारने पीटने लगे। मार पीट के दौरान हम लोंगो को गम्भीर चोटे आई है। तथा उपरोक्त लोगो ने जान से मारने कि धमकी दिये। घटना कि सुचना 112 नं0 पर दिये फिर उपरोक्त लोगो ने हमारे पिता बडे रामनगीना पुत्र रंगलाल को भी मारे पीटे।

3. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यह कि प्रार्थी बिल्कुल निर्दोष है कोई अपराध नही किया है। सम्पूर्ण प्रकरण मिथ्या मनगढन्त एवं तथ्यो से परे है। प्रार्थीगण ने न तो पार पीट

किया है न ही गाली गुप्ता दिया है। घटना का कोई हेतुक नहीं है। मात्र राजनितीक विद्वेश के कारण प्रार्थीगण को अभियुक्त बनाया गया है। घटना में आयी चोटों की प्रकृति सामान्य है तथा उपरोक्त धारा के अन्तर्गत नहीं आती है। राजनैतिक दबाव के कारण घटना के 15 दिन बाद प्रार्थीगण को जेल भेज दिया गया जबकि प्रार्थीगण ने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है। घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट भी बिलम्ब से दर्ज कराया गया है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। इन समस्त आधारों पर उन्होंने आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

4. अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना–पत्र का प्रबल विरोध एवं खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण के द्वारा अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर वादी के घर में घुसकर वादी एवं उसके परिवार के लोगों को जान से मारने की नीयत से उनपर लाठी डण्डों व कुल्हाड़ी से प्रहार किया गया है जिससे उन्हें प्राणघातक चोटें आयी हैं। कथित अपराध में आवेदकगण/अभियुक्तगण की सक्रिय भूमिका रही है। तद्नुसार उन्होंने अपराध की प्रकृति को गम्भीर होना बताकर जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5. मैंने जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

6. यद्यपि आवेदकगण/अभियुक्तगण प्राथमिकी में नामित हैं। वर्तमान मामले में आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर वादी के घर में घुसकर वादी एवं उसके परिवार के लोगों को जान से मारने की नीयत से उनपर लाठी डण्डों व कुल्हाड़ी से हमला करके उसे प्राणघातक उपहति कारित करने का अभिकथन है। मामले से सम्बन्धित केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि दौरान विवेचना विवेचक ने वादी मुकदमा एवं गवाहों के बयान अंकित किये जिन्होंने अपने–अपने बयान में कथित अपराध में आवेदकगण/अभियुक्तगण की संलिप्तता के बिन्दु पर विस्तृत कथन किये हैं। केस डायरी के साथ संलग्न वादी/मजरूब राज चौधरी के मेडिकल रिपोर्ट में मजरूब को कुल 02 चोटें आना उल्लिखित हैं तथा चोट नं0–1 की गंभीरता को देखते हुए मजरूब को सी0टी0 स्कैन हेतु जिला अस्पताल रेफर किया गया है एवं मजरूब राज चौधरी के सी0टी0 स्कैन रिपोर्ट में मजरूब के Brain Hyperdense blood attenuating valves are seen in Rt. Anterior Basi frontal and frontal connexity region suggestive of hemorrhagic contusions with perifocal ocdence of cerebral parenchymal. Bone Window Fracture of Rt. Frontal Bone is seen उल्लिखित है।

इसी प्रकार मजरूब खुशिहाल के मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार मजरूब खुशिहाल को कुल 03 चोटें आना उल्लिखित है तथा चोट नं0–3 की गंभीरता को देखते हुए मजरूब को एक्सरे हेतु जिला अस्पताल रेफर किया गया है। डाक्टर विजय कुमार सिंह के बयान के अनुसार दिनांक 07.05.2026 को मजरूब के Head का सी0टी0 स्कैन किया गया, रिपोर्ट में मजरूब के सिर की हड्डी में फ्रैक्चर आना पाया गया। मजरूब के सिर में प्राण घातक चोटें आना पाया गया था जिससे मजरूब राज की जान भी जा सकती थी। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार मामले में विवेचना पूर्ण हो चुकी है तथा आरोप पत्र तैयार किया जा चुका है। इस प्रकार अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से कथित अपराध में आवेदकगण/अभियुक्तगण की प्रथम दृष्टया संलिप्तता प्रतीत होती है। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। इस स्तर पर

आवेदकगण/अभियुक्तगण को प्रश्नगत घटना में मिथ्यारोपित किये जाने का कोई ठोस एवं न्यायोचित आधार विद्यमान नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत तर्क एवं बचाव में अभिकथित तथ्य साक्ष्य एवं विचारण का विषय है।

7. अतएव मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता तथा कथित अपराध में आवेदकगण/अभियुक्तगण की प्रथम दृष्टया संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

8. तद्नुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण धर्मेन्द्र यादव व लालमन यादव की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र सं०–2199/2026 निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 03.06.2026

(राज कुमार सिंह)

सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

J.O. Code–UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.06.03 16:38:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court